Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 10-03-2006

Participants : Mahtab Shri Bhartruhari,Rawat Shri Bachi Singh,Vijay Krishna Shri ,Rawat Prof. Rasa Singh,Owaisi Shri Asaduddin,Barq Shri Shafiqur Rahman,Mehta Shri Alok Kumar,Panda Shri Prabodh,Mistry Shri Madhusudan Devram,Salim Shri Mohammad,Atwal Shri Charnjit Singh,Aaron Rashid Shri J.M.,Kumar Shri Shailendra,Fanthome Shri Francis ,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Saradgi Shri Iqbal Ahmed,Hanumanthappan Shri N. Y.,Tripathy Shri Braja Kishore,Fatmi Shri Moh. Ali Ashraf,Hamza Shri T.K.,Radhakrishnan Shri Varkala,Swain Shri M.A. Kharabela,Shahid Shri Mohammed,Suman Shri Ramji Lal,Azmi Shri Iliyas

an>

Title : Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 and National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up item nos. 24 and 25 together for discussion and 4 hours are allotted for this discussion.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006) promulgated by the President on 23 January, 2006.”

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.A.A. FATMI): Sir, on behalf of Shri Arjun Singh, I beg to move:

> “That the Bill to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

> “That this House disapproves of the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006) promulgated by the President on 23 January, 2006.”

> “That the Bill to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise not to oppose the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill as such, but to make my submission that promulgation of ordinance should not be taken as a route for enacting any legislation. In fact, this is a good piece of legislation. I can recall the debate which took place in this august House on the 93rd Constitution (Amendment) Bill, 2005. In the course of that discussion, a point was made by several Members that a necessary legislation should be brought to stipulate the quota for admission in aided and unaided educational institutions.

As regards the right to establish a new minority educational institution, the right of the institutions, the power of the National Commission etc., all these points are very much legal and vital and in this regard some amendments are required and so I agree with the amendments proposed in this Bill.

Sir, the Standing Committee on Human Resource Development has already scrutinised the Bill and we find that most of the points made by the Committee have been incorporated in the Bill. Hence, I am in favour of this particular Bill, but I am opposing the route of ordinance taken by the Government. I can recall that during the 13th Lok Sabha, the present UPA leaders, particularly the leaders of the Congress Party, when they were sitting in the Opposition Benches, used to oppose each and every ordinance issued during that period and they used to say that it was nothing but an 'ordinance raj'. So, I am also expressing the same view now.

This is not a Bill that can be opposed by the majority of the Members or the majority of the political parties represented in this august House. Why has this ordinance been issued in a hurry? What would have happened if this Bill had been brought in this Budget Session? The Heavens would not have fallen by this time.

So, I would like to express my disapproval for issuing of this ordinance. I think the Government will respond to my suggestion and hope that they would not follow the same ordinance route as has been followed by the earlier Government. This is my submission.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सांविधिक संकल्प है, उससे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं और उसके डिस्-एप्रूववल पर बल देता हूं। जो विधेयक सरकार की ओर से लाया गया है, इससे पहले 23 जनवरी 2006 को एक अध्यादेश के माध्यम से इसे पुनर्स्थापित किया गया तथा लागू किया गया और आज राज्य सभा से पारित करने के बाद माननीय मंत्री जी सदन के सामने लोकसभा में इस विधेयक को लेकर आए हैं। मुख्य रूप से जो आर्डीनेंस लागू किया गया, उसमें भारत के संविधान के 93वें संशोधन के परिणामस्वरूप सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त जितने शैक्षिक संस्थान थे, उनमें एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेज के प्रवेश के लिए कोटा नियत करने के संबंध में था। अध्यादेश में केवल इतना कारण बताया गया है कि चूंकि नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ कांस्टीच्यूशन सामने आ गया है और दाखिला कोटा की पूर्ति करने में जो कठिनाई आ रही है, उसके लिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे अध्यादेश और उसके अनुसरण में जो विधेयक माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो मूल विधेयक जिसे भारत की संसद ने पारित किया था, जो अधिनियमित हुआ था, लगभग छः-सात महीने के बाद ही उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। जो मूल अधियम था, उसमें छः विश्वविद्यालय अधिसूचित किए गए थे, इन विश्वविद्यालयों में जो अधिसूचित विश्वविद्यालय हैं, इनमें एफिलिएशन के लिए जो माइनेरिटी एजूकेशन इंस्टीच्यूशंस होंगे, वे किस तरीके से संबद्ध होना चाहेंगे, वे उसके लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। यदि उनके संबद्धीकरण के संबध में कोई विवाद होगा, तो जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन आज जो आर्डीनेंस आया, उस आर्डीनेंस में वह अधिसूची या शेड्यूल अधिसूची का विलोप कर दिया गया है।

आज विश्वविद्यालय कोई अनुसूचित विश्वविद्यालय न होकर के सीधे-सीधे, देश के अंदर चाहे राज्य के द्वारा विधेयक लाकर उसकी स्थापना हुयी हो या फिर केंद्रीय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी हो, उनसे संबद्धीकरण और न केवल संबद्धीकरण बल्कि, कौन सी प्रक्रिया उसमें अपनायी जाएगी कि यह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है और इसके अलावा जो उसको दिए जाने वाले अनुदान हैं, उसके संबंध में भी जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उन पर भी मैं माननीय सदन का ध्यान आकृट करूंगा। सबसे पहले बात, इस संबंध में जो सारी की सारी शक्तियां और अधिकार आयोग को सौंप दिए गए और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत की भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस आयोग के समक्ष जाने वाली समस्त कार्यवाही ज्यूडीशियल प्रोसिडिंग्स होगी और इसका स्टैटस कोर्ट का होगा। इसके अलावा उसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जो भी आदेश होगा, उस आदेश् को, उसका जो एग्जीक्यूशन है, वह उसी तरीके से होगा, जिस तरीके से सिविल प्रोसीजर कोर्ट के भीतर डिक्रीज एग्जीक्यूशन करने का प्रावधान है, वह इसमें दिया गया है। यानी प्रत्यक्ष रूप से आयोग को न केवल समीक्षा करने का और जांच करने का बल्कि पूरी तरीके से न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में जो मूल अधिनियम है, उस मूल विधेयक पर दिसंबर 2004 में यहां पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी मैंने सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृट किया था। यह अपने आप में जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है और उसके पीछे जो हेतु उस समय था, उस समय स्थिति यह थी कि तमाम राजनैतिक दलों से संपर्क करते समय भारतीय जनता पार्टी को उस बैठक में जानबूझकर नहीं बुलाया गया था। हम लोगों ने इसके लिए घोर आपत्ति भी प्रदर्शित की थी।

लोकतंत्र के भीतर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विचारों को सुना जाना और उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। उसकी पीछे जो भावना थी, उसे व्यक्त नहीं किया गया है। उनके विचारों की जानकारी न ली जाए, यह एक प्रकार से सीधे-सीधे उपेक्षा करने के समान है। इसे अल्पसंख्यकवाद शब्द दिया गया है। मौजूदा सरकार द्वारा इसे प्रमुख बल प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं जिन का उल्लेख इस तरीके से कर सकते हैं। उसी कड़ी में मान्यता प्रदान करने के लिए राट्रीय अल्पसंख्यक संस्था शैक्षणिक संस्था आयोग आया है। उसे सूचीबद्ध भी किया गया है। जो बड़े-बड़े फैसले लिए गए - जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की व्यवस्था, आन्ध्र प्रदेश में नौकरियों में मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था, आईएमडीटी एक्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा असं वैधानिक घोाित करने के बाद उस निर्णय की अवहेलना करते हुए फॉरेनर एक्ट में संशोधन किया जाना. स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अलंपसंख्यक मंत्रालय की स्थापना करना. यू.सी. बनर्जी कमीशन की स्थापना, उसके बाद जांच रिपोर्ट को एक पक्षीय प्रस्तुत करना, सच्चर समिति जिस के माध्यम से सेना में मुसलमानों की गिनती कराना आदि-आदि। इसकी पीछे अच्छी भावना होनी चाहिए थी।

आर्टिकल 30 में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भााा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। वे अधिकार फंडामैंटल राइट्स में दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी इनकी स्थापना की जानी आवश्यक हो, वहां संविधान इस बात की गारंटी करता है कि वे उस दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसी में फंडामैंटल राइट्स हैं। संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वैलिटी बीफोर लॉ की बात है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। आप इसे कानूनी रूप दे रहे हैं। यह एक प्रकार से अन्य वर्गों की अवहेलना करने जैसा है। जो एफिलिएशन का माध्यम है, उसके लिए जनरल प्रावधान किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्राट्स कमीशन, एमसीआई . बीसीआई में मामले जाएंगे तो एक प्रोसीजर फॉलो होगा। एनओसी लेना है तो वही प्रक्रिया रहेगी लेकिन यहां एनओसी के लिए एक प्रक्रिया तय कर दी है। यदि 90 दिन के भीतर कम्पीटिटिव एथॉरटी के जरिए इसे अनुसूचित नहीं किया जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने इसमें नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। यह परिकल्पना पर आधारित है। वास्तव में स्वीकृति हुई या नहीं, यदि विलम्ब हो गया है तो कानूनन मान लिया जाएगा कि वहां स्वीकृति दे दी है। अगर अस्वीकार कर दिया जाएगा तो आयोग के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और वह अपील का आदेश फुल एंड फाइनल होगी जिसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। यह एक प्रकार से जुडिशियल सिस्टम के विपरीत है।

इसमें दो चीजें प्रमुख रूप से परिलक्षित होती हैं। आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। इसके अलावा भारत के संविधान ने न्यायिक प्रक्रियाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं दी हैं। उनके विपरीत भी यह विधेयक है। निश्चित रूप से इसे जहां चुनौती दी जाएगी, वह संवैधानिकता के आधार पर होगी। यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है और राज्यों को यह तय करना है। आर्टिकल 30 में भाायी या धार्मिक आधार पर इसका उल्लेख आया है। यह अभी तक कहीं परिभाति नहीं है कि अल्पसंख्यक परिभाा क्या होगी? यह आज के मौजूदा विधेयक में भी नहीं है, न ही संशोधन विधेयक में है और न ही मूल विधेयक में है। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 30 में आता है ।

भााई अल्पसंख्यकों को तय करने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों का है, केन्द्र को यह तय नहीं करना है। सब अधिकार केंद्र द्वारा जो आयोग अधिनियमित किया जा रहा है उसके हाथ में दे दिए गए हैं और उनका आदेश अंतिम होगा। सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अधिकारों के तहत रिट ज्यूरिस्डिक्शन के आर्टिकल 226 और 227 में याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप करने के अधिकार को छोड़कर यह चुनौति किसी एजेंसी, उच्च न्यायालय, या सिविल न्यायलय को नहीं दी जा सकती हैं। इसे हम न भी छोड़ें तो भी डिप्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान की मूल स्पिरिट के विपरीत है। लेकिन बाकी की लीगल रेमेडी में जाकर चुनौति दें और जिस पर रैगुलर सुनवाई हो यानि इतने संक्षिप्त न्यायिक अधिकार दे दिए, प्रक्रिया इतनी संक्षिप्त कर दी गई कि किसी प्रकार का फैसला हो, इसमें जजमेंट का उल्लेख नहीं है केवल ऑर्डर है, एक ऑर्डर पारित कर देंगे और वह फाइनल हो जाएगा।

राज्यों के भीतर व्यवस्थाएं जो आज तक रही हैं, उसमें देखा जाता था कि एफिलिएशन से पहले जो कोई भी विश्वविद्यालय है, उनके अपने नियम, उपनियम, रैगुलेशन्स हैं और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सक्षम प्राधिकारी यह जांच करते थे कि फलां इंस्टीट्यूशन, जिसे खोला जाना है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके लिए भवन उपलब्ध है या नहीं है, इसके आर्थिक स्रोत कहां से हैं, जो विाय पढ़ाए जाने हैं उस विाय के टीचर्स और लैक्चरर्स की पूर्ति है या नहीं है। इन सबके लिए विभिन्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं, वे कॉलेज जो खोला जाने हैं या चलाये जाने हैं, उनका विजिट करना और एक्सपर्ट्स द्वारा देखा जाना, ये सारी प्रक्रिया सम्मिलित थी। लेकिन इसे आपने संक्षिप्त कर दिया कि जिस सक्षम प्राधिकारी का आवेदन हुआ, यदि उसने तय नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि उसे स्वीकृति मिल गई।

कल हम युवा सांसद राहुल गांधी का भााण यहां किसी कारणवश नहीं सुन पाए, उसके बारे में हमें अखबार में पढ़ने को मिला है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है देश के भीतर गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सब इससे सहमत हैं। हम हमेशा से इसे मानते आए हैं और कोई भी माननीय सांसद इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। इसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, ओ. बी.सी. हो, शैड्यूल कास्ट हो, शैड्यूल ट्राइब हो या किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, क्वालिटी की शिक्षा मिले और उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले, तब हम कह सकते हैं कि किसी के हित के लिए कोई प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन यहां केवल देश के भीतर शिक्षा की जो संरचना है, अगर उसमें कोई खोट है, यू.जी.सी. के नॉर्म्स में कोई कमी है या ए.आई.सी.टी. मान्यता या एफिलिएशन देने में कोई अड़चन लगाता है तो उनके लिए सरल प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन एक ही देश में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करने से, जिसने जहां अपनी इच्छा से कोई भी विश्वविद्यालय लिया और उसमें वैरिफिकेशन, जांच करने या किसी अधिकारी को तय करने की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से प्रक्रिया में खोट सामने आएगा। इसका नतीजा यह होगा कि देश के भीतर जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात कह रहे हैं, सुलभ शिक्षा की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री से पहले भी आग्रह किया था और आज हम सब इस दिशा में आग्रह करते हैं कि हम इसे केवल वोट बैंक की राजनीति से न जोड़ें। वास्तव में व्यवस्था उन्हें लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। यदि हम किसी वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इसका लाभ तभी पहुंचेगा जब हम एक स्तर की शिक्षा दें, जब हम आर्थिक रूप से इतना अनुदानित करें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज जहां भी जाते हैं वहां प्रतियोगिता का समय है, उस प्रतियोगिता में वे खड़े होने के लिए सक्षम हो, तब तो इसका लाभ है अन्यथा यह एक प्रकार से सारी की सारी राज्य सरकारों के अपने अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाला तो है ही वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रकिया को आयोग के हाथ में सौंप देना है। हमारा कहना है कि यह एक प्रकार से कमीशन नहीं बल्कि रैगुलेटरी ऑथोरिटी या फैसिलिटी देने का निकाय हो । अच्छा तो यह हो कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वह मैडिकल एजूकेशन हो, एकेडैमिक हो, टैक्निकल एजूकेशन् हो, देश भर की सारी संस्थाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा सकती है, नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि हम इसका प्रयोग जहां-जहां कर रहे हैं, चाहे वह इलैक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, टेलिफोन के क्षेत्र में हो, उसके जो परिणाम सामने आये हैं, उसके एक्जीक्यूशन में कमी नहीं आई है। आज उसके विपरीत यदि हम इस प्रकार से यह अधिनियमित करेंगे तो यह न केवल हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम को बल्कि देश के भीतर जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो हमारा संघीय ढांचा है, निश्चित रूप से इन सबको प्रभावित करेगा। क्योंकि संविधान के भीतर जहां हमें अधिनियम को पारित करने की शक्ति प्राप्त है, वहां राज्य के भीतर अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अधिनियम बनाने का, अपने विश्वविद्यालय स्थापित करने का, अपने सिस्टम को चलाने का, राज्यों की विधान सभाओं के अधिकार भी पूरे के पूरे मान्यता प्राप्त हैं और ऐसा न हो कि इस प्रकार के अधिनियम बनाने के बाद हमारे फेडरल सिस्टम पर कोई आघात पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर देश भर में अनेक संस्थाएं हैं, उनसे किसी माइनोरिटी का हित किया जाए, वे इस लक्ष्य से स्थापित नहीं हैं, बल्कि आर्टिकल 30 का लाभ उठाते हुए देश भर में जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसका व्यावसायीकरण हुआ है, अधिक फीस वसूल करने का काम हुआ है। यदि हम देखें तो इसमे माइनोरिटी के नाम पर, चाहे वह क्रिश्चियन्स के नाम से हो, बौध के नाम से या अन्य नामों से हो अथवा फिर भाााई आधार पर हो, जैसे जो तमिल हैं, यदि उन्होंने दिल्ली में इसी आर्टिकल 30 की मान्यता ली हुई है तो वे अपना फायदा उठाने के लिए के लिए काम कर रहे हैं और उनमें फीस का लैवल इतना ज्यादा है कि एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो, वहां आसानी से प्रवेश नहीं पा सकता है। जब वह वहां प्रवेश नहीं पा सकता है और उसे इनसे सीधा लाभ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब यह आर्डिनेन्स लाया गया और यह कहा गया कि आर्टिकल 93 में जो दाखिला कोटा तय हुआ है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया तो उस समय यह पोजीशन थी कि पहले से ही जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उन्हें इससे छोड़ा गया है। जो 93वां संशोधन है, उसमें यह तय किया गया कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी में यह रिजर्वेशन किया गया तो उस डेट को जितने माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें छोड़कर बाकी में इसे लागू करना है। लेकिन वह होता नहीं हैं। बल्कि यह हो रहा है कि अन्य. जितने आवेदन हैं, वे आवेदन आये और हम आपको माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दे, ताकि यदि एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. का जो एडमिशन करना है, वह उससे वंचित हो जाए। इसका एक नुकसान उनके लिए भी है जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें भी उससे वंचित होना पड़े। इसके संबंध में मैं यह निवेदन करता हूं कि यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. ने जो अपने नॉर्म्स दिये हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसके जो भी नियम आप लेकर आएं या संशोधन के माध्यम से लेकर आयें, वैसे किसी प्रकार से यह कुछ नहीं कहता। यह कहता है कि आपने के वल आवेदन करना है। यदि उस आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई या उसे कम्युनिकेट नहीं किया गया तो 90 दिन के अंदर मान लिया जायेगा कि आपको मान्यता मिल गई है और आप अपनी संस्था को चला सकते हैं। इस तरह से इस प्रावधान के बाद सैंकड़ों, हजारों की तादाद में ऐसी संस्थाओं की बाढ़ इस देश के अंदर आ जायेगी और निश्चित रूप से देश की शिक्षा का स्तर बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक पहलू और भी है और वह पहलू एटोनोमी का है। जब हम यह कहते हैं कि देश के भीतर विश्वि वद्यालयों की स्वायत्तता, उनकी एटोनोमी बहाल रहनी चाहिए। इस बारे में कहीं से कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जो यह विधेयक है, पहले से अधिनियम प्रभाव में है, यह उनकी एटोनोमी को एकतरफा रूप से प्रभावित करता है। एटोनोमी आर्थिक क्षेत्र में फीस के मामले में जैसे आई.आई.एम. का मामला था, वह एकेडेमिक एटोनोमी का मामला नहीं था। वहां उसके पाठ्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं था। वहां उसका एफिलिएशन किस विद्यालय को मिलना है, उसके संबंध में हस्तक्षेप नहीं था। वहां केवल यह हस्तक्षेप था कि फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा है, उसे कम किया जाए ताकि आम या मध्यम वर्ग के छात्र को प्रवेश मिल सके। उसमें उसे यह कह दिया गया कि यह शिक्षा का भग वाकरण हो रहा है, यह शिक्षा का भगवाकरण नहीं हुआ, बल्कि देशहित में काम हुआ। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह बात सही नहीं है, जो निर्णय लिया गया है, वह ठीक है। आज फिर वही स्थिति आ गई। आप जो इस विधेयक के माध्यम से समबद्धता का प्रा वधान कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह हमारी एकेडेमिक आटोनोमी को प्रभावित करेगा। हम लगातार कहते आए हैं कि एनसीईआरटी का मामला था, जिसमें आपने कहा कि परिवर्तन कर दिया है और 12 सितम्बर, 2002 को सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच ने न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह तथा दो अन्य माननीय न्यायाधीशों ने यह पाया था कि इसमें कतई कोई असंवैधानिक नहीं है, तभी से शिक्षा का भगवाकरण कहा जाना बंद हुआ। अगर हम यह कह रहे हैं कि आज इस विधेयक के माध्यम से तथा अन्य जो कार्य मौजूदा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से एक तुटिकरण का कार्य किया जा रहा है तो यह एक प्रकार से अल्पसंख्यकवाद को देश में बढ़ावा देने की कार्य वाही की जा रही है और इस दिशा में तत्काल सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा यह मानना है कि संसद में विभिन्न दलों के माननीय सदस्य इसलिए सुझाव देते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे, लेकिन अभी तक की जो प्रक्रिया सामने आ रही है, उसमें यह होता है कि मेजोरिटी के आधार पर विधेयक पारित कर लिए जाते हैं, भले ही उसमें कितनी ही कमियां हों और फिर इस प्रकार से छ:-आठ महीने बाद संशोधन ला करके आना पड़ता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए भी किसी प्रकार से हितकर नहीं है और उसकी परिणति फिर यही होती है। इसलिए विपक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए। उसमें तथ्य हों और संसद में डिबेट का भी कोई न कोई निर्का निकलना चाहिए, क्योंकि हम भी केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, उसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनकी तरफ हमने प्रमुख रूप से आपका ध्यान आकृट किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस दिशा में कार्य करेंगे। नये जो अनुदान हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं? एनडीए के आने से पहले जो सरकारें थीं, उस समय तालीमी शिक्षा के लिए, मदरसे की शिक्षा के लिए केवल एक करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने उस समय इसे एक करोड़ से बढ़ा कर दस करोड़ तक किया था और इस समय 13 करोड़ है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी पुरजोर मांग है कि इसमें जो

बुनियादी शिक्षा है, इसमें मदरसे की शिक्षा को सरकार की तरफ से अधिक मजबूती दी जाए, उसके लिए कोई विशेा प्रावधान इनकी तरफ से सामने आने चाहिए। इसमें सिविल न्यायालय का उल्लेख किया गया, लेकिन यदि कोई आयोग की बात को मानने से मना करता है, अगर हम कोई अधिनियम ला रहे हैं और उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कौन से दंड की व्यवस्था होगी? उसके लिए दंड की या जुर्माने की कोई व्यवस्था मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, उसमें केवल इतना ही संदर्भित कर दिया गया है कि एफिलेएशन के मामले में हमारा जो आर्डर फाइनल हो गया और कोई उसकी कम्प्लेंट न करे तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, इसे फिर से छोड़ दिया गया है। इस मामले में यह विधेयक साइलेंट है। जिन परिस्थितियों में आप इस विधेयक को लेकर आए हैं, उस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपने जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का पहले आरक्षण का मामला लिया और फिर उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देने की बात कही और दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुन: वरडिक्ट आया कि नहीं, ये सारा मामला संवैधानिक है - चाहे वह आंध्र का मामला हो या नौकरी के आरक्षण का हो। हमारे देश में पंडित ज वाहर लाल नेहरू जी से लेकर आज तक कितने शीर्ास्थ नेता रहे हैं। उनकी मान्यता है कि कहीं पर भी संरक्षण या आरक्षण अल्पसंख्यक वर्ग को देने का अर्थ है कि हम उस वर्ग को राट्र की मुख्य धारा से विलग कर रहे हैं। मैंने पिछले विधेयक में भी इसका उल्लेख किया था, इसलिए मैं समझता हूं कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उस परिप्रेक्ष्य में था, जब संविधान सभा में इस पर डिबेट चल रही था और पंडित जवाहर नेहरू ने इसका उल्लेख किया था। उनका कहना था कि यदि देश में विदेशी हुकूमत है या राजा निरंकुश है, तब किसी प्र ाकार से आरक्षण या संरक्षण की आवश्यकता होगी लेकिन जब हम एक व्यवस्थित लोकतंत्र के भीतर हैं तो इस प्रकार के आरक्षण या संरक्षण को देना नुकसानदायक होगा, उस वर्ग के लिये नुकसानदायक होगा क्योंकि वह हम से काफी दूर चला जायेगा। इसलिये इस बिन्दु पर विचार होना चाहिये। मेरा आग्रह है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नियमक बनना चाहिये। मेरे द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर मैं बल देता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक का संमर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि जब भी सदन में अल्पसंख्यकों के बारे में बात आई तो सामने की ओर से बैठे हुये लोगों के द्वारा बिना सोचे इसका विरोध किया गया। जैसा कहा गया कि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका अपीज़मेंट कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या सरकार उन लोगों के लिये यह कर रही है। इस प्रकार के आरोप हमेशा ही सामने की ओर से लगाये जाते हैं। मैं इस संबंध में विस्तार से बाद में बताऊंगा लेकिन सामने बैठे हुये लोगों को कुछ हकीकत बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुये हैं और इस देश की मेनस्ट्रीम में आज तक हैं। वे लोग कम्पीटीशन में भी हैं लेकिन उन्हें धर्म के हिसाब से कितनी बार डिस्क्रिमेशन सहन करना पड़ रहा है। उसका सीधा असर उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। यह भी देखा गया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। जो दूसरी कम्युनिटी है, उनके मुकाबले बहुत बड़ा समुदाय उनके पेस में नहीं जा सकता है। वह सामाजिक और आर्थिक की प्रतिस्पर्द्धा में नहीं रह सका, उसकी आय नहीं बढ़ी। मैं बहुत से आंकड़े देना चाहता हूं। 1999-2000 में नेशनल सैम्पल सर्वे और्गनाइजेशन के 55वें राउंड में यह सर्वे पूरा किया गया। मैं सामने की ओर बैठे हुये लोगों के लिये जानकारी देना चाहता हूं ।

Let me tell you the proportion per thousand households belonging to the self-employed category and regular salaried and casual labour category. In 1999-2000, per thousand self-employed households, 327 were Hindu, 446 were those preaching Islam and 184 were from Christianity. Out of 1,000 regular salaried households, 437 were Hindu, 296, around 60 or 65 per cent, were Muslims and 502 were Christians.

As regards the casual labour households during 1999-2000, there were 140 households of Hindus, 155 of Islam, and 117 Christianity.

Let me mention about the category of persons. The self-employed persons, out of 1,000, are 368 Hindus, 521 Islam, and 215 Christianity. I would like to give emphasis that 521 persons from Islam are

self-employed. As regards regular employed, there are 428 Hindus, 273 Islam, and 536 Christians. As regards casual labours, there are 140 Hindus, 151 Islam, and 133 Christians.

Let me mention about the distribution of household by religion. किस तरह से गांवों में उनका सैटअप है, मैं उस पर आता हूँ। Out of 1,000 households in the rural area, 848 are Hindus, 98 Islam, 24 Christians, 17 Sikhs, and 13 others. On the other hand, out of 1,000 household in urban areas, 793 are Hindus, 137 Islam, 34 Christians, 15 Sikhs, and 21 others.

Now, I would like to mention about the persons in the three lowest classes for minimum per capita expenditure in 1999-2000. These are all National Sample Survey Organisation data, and not mine, which I am mentioning here. Firstly, with regard to rural persons those who spend less than Rs. 300, 29 per cent are Muslim, 26 per cent Hindus, and 19 per cent Christians. On the other hand, in urban India, out of 1,000 households those who spend less than Rs. 425, 40 per cent are Muslims, 22 per cent Hindus, and 13 per cent Christians. Out of those 1,000 households, as a proportion, those who spent more than Rs. 1,120, 29 per cent are Christians, 17 per cent Hindus, and 06 per cent Muslims.

Now, let me mention about education. If you take per 1,000 household distribution of persons at an age of 15 years and above, the education level in 1999-2000 for the rural male who are not literate, 368 Hindus, 409 Islam, 241 Christians. As regards the persons, who are literate up to primary level, 255 Hindus, 303 Islam, and 307 Christians. In the same category, for rural females, who are not literate, 658 Hindus, 664 Islam, and 370 Christians. यह सिचुएशन शहर में रहने वाले पुरुषों की है।

I come to the labour force participation rates according to usual status (principal & subsidiary taken together) among major religions and sex. The figures for rural male are 546 Hinduism, 489 Islam, and 583 Christianity. The figures for rural female are 317 Hinduism, 164 Islam, and 342 Christianity. On the other hand, for urban male, the figures are 549 Hinduism, 520 Islam, and 522 Christianity. Therefore, if you look at this data, then it is the same sort of situation, which is prevailing in this country with regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The means of production is not there with a large chunk of the minority community.

15.00 hrs.

I am not giving you any data in regard to those who cultivate less than a hectare or 0.1 hectare, and between 0.1 hectare and above 4 hectares. That is also NSS data. A large number of people from the minority community have to depend on self-employment because they do not get regular employment. This is what the NSS data says. What is the reason for it? Is there any hidden discrimination against them? Do they not need positive support from the Government?

When efforts were made by this Government and when the Minorities Commission tried to find out the number of people working in different categories of employment, including the Armed Forces, a hue and cry was made out that this would divide the Indian Armed Forces. They were not ready to reveal it. This is leading to a situation whereby you cannot take the entire section of the society together and ensure an equal economic condition for them. हम ऐसी परिस्थिति में निकल रहे हैं, जिसमें एक सैक्शन जो सोसायटी का है,because of religion and because of the means of production in their hands, their mobility towards the higher

echelons of the society is very fast, while a large number of people belonging to minority community, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes. वह नीचे के तबके में रहे, ऐसी परिस्थिति में हम आ रहे हैं।

Reservation is nothing but just providing a kind of assured regular income. If they do not have land, then you have give them employment. It is shown in the NSS report that the children of those who have a regular income have gone in for higher education. Reservations have provided a ladder to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes for their upward mobility. Of course, we expressed our concern when a large number of private sector undertakings have been privatised because we did not know whether there would be reservations in them or not. Of course, I am of the opinion that there should be reservation in the private sector also.अगर यह नहीं होगा, तो जो एश्योर इनकम है, वह एश्योर एनकम नहीं होगी और एश्योर इनकम नहीं होने की वजह से जो समाज है, जो पूरा तबका है, जिसे समाज के अन्य तबकों के साथ आगे बढ़ना है, जो अपर मेबिलिटी है, उसके अंदर वह आगे नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर थोड़े लोगों की आय बहुत ज्यादा होगी और सभी सहूलियतें उन्हें मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, जिनकी इनकम का गैप ज्यादा होने की वजह से वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे और जिसकी वजह से ऊपर की मोबिलिटी है, उस तरफ जा सकेंगे। इस बिल का क्या मकसद है? इस बिल का मकसद यह है और कल यहां पर हमारे युवा नेता ने कहा था कि एजुकेशन को ऐसा बनाओं जो समाज के हर तबके को मिल सके। कल को यह कहें कि बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एनकरेजमेंट दिया जाता है, उनको स्टाइपेंड दी जाती है। गुजरात और दूसरी जगहों पर जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, उन्हें अनाज दिया जाता है। लड़कियों की स्कूल में ज्यादा उपस्थिति होने पर उन्हें एलाउंस दिया जाता है। वह दाखिल होगा तो बोलेंगे कि माइनोरिटीज़ अपीजमेंट है, डाटा कलेक्ट करो तो कहेंगे कि माइनोरिटीज अपीजमेंट है। उनके बारे में समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाने को कहें, तो कहेंगे कि माइनोरिटीज अपीजमेंट है। It is most unfortunate. I do not know whether we can call them a responsible Party or not. उनका नजरिया ऐसा हो गया है कि जैसे हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जिसकी नजर के अंदर पीलापन है, उसे सभी जगह पीला नजर आता है। ज्यादा लोग इसी मानसिकता के अंदर गुजर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह कहीं कोई आतंकवादी हमला हो गया या किसी मायनॉरिटी के बारे में किसी ने दो अच्छे शब्द कह दिए, तो वे इनसे सहे नहीं जाते। लखनऊ में यदि कोई दूसरा आतंकवादी हमला होता, तो उससे इनका कोई संबंध नहीं था, अगर वहां बी.जे.पी. की सरकार होती, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने तो अपने गुजरात राज्य में देखा है, वहां जब अक्षर धाम पर आतंक वादी हमला हुआ, तो कोई रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ, तो रथ यात्रा निकाली। सब जगह कहा गया कि यह रथ यात्रा नहीं, बल्कि दंगा यात्रा है। मैं समझता हूं कि जो कहा गया है, यह बिलकुल सही है कि इनकी रथ यात्रा, दंगा यात्रा है। ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल पर नहीं बोल रहे हैं। इनकी यह मानसिकता देश की एकता के लिए, राट्रीयता के लिए बहुत दुख देती है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not to be recorded.

*(Interruptions) ...**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I have not yielded, Sir, and I am not yielding.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह जी, आपकी भी बोलने की बारी आएगी। तब आप जो बोलना चाहते हैं, बोल लें। कृपया अभी आप बैठें।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इनका जो रवैया देखा गया है, इनकी जो स्ट्रैटेजी देखी गई है, वह ऐसी ही है। हमने कल इनके नेताओं की बात सुनी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा देश की एकता के लिए निकाल रहे हैं। रथ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि देश की एकता बनी रहे। हम सबको साथ रखना चाहते हैं। हमने देखा है कि बाहर, जो टॉप लीडरशिप है, वह एकता की बात करे और नीचे की जो लीडरशिप है, वह कहे कि हम दो, हमारे पांच, और फिर डिनाई करें, यह ठीक नहीं है। गुजरात के मुख्य मंत्री जी ने माइनॉरिटी के बारे में यही शब्द निकाले और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं कहा, लेकिन जब उनकी वीडियो, उनके ही सामने दिखाई गई, तब उन्होंने बोलना बन्द किया। इनके दिल्ली में बैठने वाले इनके नेता एकता की बात करते हैं, लेकिन नीचे वाले कुछ और ही बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह एप्रीहेंशन है कि जहां राथ यात्रा जाएगी, वहां दंगे ही होंगे। यहां बैठे हमारे जो बी.एस.पी. और एस.पी. के साथी हैं, मेरी तो उनसे प्रार्थना है कि अगर वे थोड़ी सी भी हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें इस रथ यात्रा को वहां नहीं निकलने देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए, जैसे बिहार में नहीं निकलने दिया गया। उसी प्रकार से इस रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश में नहीं निकलने देना चाहिए। मेरा ऐसा मन्तव्य है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, इनकी जो माइनॉरिटी बैशिंग की स्ट्रैटेजी है, इसी कारण इस बिल का विरोध हो रहा है। इसमें ऐसी कोई स्पैशल एप्रीहेंशन नहीं दी है। इससे कोई ऐकैडैमिक औटोनौमी आने वाली नहीं

---

* Not Recorded.

है। इस समाज की जो 90 प्रतिशत पॉपुलेशन है, उसे चूंकि मौके नहीं मिले हैं, ऐसे सैक्शन को अपॉर्चुनिटी देकर, उसे समाज के दूसरे वर्गों के बराबर लाने, मैन स्ट्रीम में लाने का, सरकार का यह केवल एक प्रयास है। सरकार के इस प्रयास की सराहना करने के बजाय, केवल एपीजमेंट की बात देखना, ठीक नहीं है और इसीलिए इनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। क्या आप उन्हें इस देश का नागरिक नहीं मानते, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको आगे लाना चाहिए, इनके साथ पॉजीटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ? मैं तो इन्हें जानता हूं। ये तो इस बात के बराबर विरोधी रहे हैं। मैं अपने राज्य गुजरात की बात करता हूं, वहां मैंने देखा है। हमारे समाज से 20 लोग चुनकर आए, लेकिन एक भी आदिवासी एम.पी. को जब इनकी एन.डी.ए. की सरकार थी, तब मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इनकी सरकार में एक भी दलित मिनिस्टर नहीं था। 20 सीटें देने के बाद यह स्थिति थी। यह इनका रवैया है। ये तो सिर्फ यह कहते हैं कि हमें वोट दो और फिर भूल जाओ। हिन्दू के नाम पर सब इकट्ठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के देवता हमारी तरह नहीं होते। वे वायु को देव गिनते हैं, वे अग्नि को देव गिनते हैं। वे हमारी तरह देवी-देवताओं को नहीं मानते। उनके फिगर्स नहीं होते, उनके काम ब्राह्मण से शुरू नहीं होते। उनका अलग ही एक समाज है, लेकिन हिन्दू के नाम पर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी बड़े हिन्दू मंदिर का पुजारी कोई दलित बनाया गया हो। केवल वोट के लिए सब हिन्दू हैं।

वोट के लिए सब हिन्दू, बाद में तुम सब अलग। उसमें दलित भी अलग, उसके अन्दर आदिवासी भी अलग, उसमें ओ.बी.सी. भी अलग, उसमें माइनोरिटी भी अलग। आज वे यहां नहीं हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुओं के अन्दर कुछ भी है तो इसमें सभी सैक्शंस को इकट्ठे होकर इनके सामने कहना चाहिए कि आपकी सारी राजनीति सिर्फ हिन्दू की है और वोट के लिए है। वोट देने के बाद न कोई आदिवासी याद आता है, न कोई दलित याद आता है, न कोई ओ.बी.सी. याद आता है और माइनोरिटी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। इस वजह से इनसे कहना चाहता हूं कि आप यह छोड़ो...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपने बोलना है, देख लो।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : कोई बहुत जवाबदार है, ऐसी पोलिटिकल पार्टी बनो, आपके लीडर ऐसी पोलिटिकल पार्टी बनायें। जैसा गुजरात है, दूसरी जगह वैसा मत करो। जैसा 1991 में किया, वैसा वापस मत करो, जो रथयात्रा की, वैसा मत करो।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mistry, address the Chair.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am addressing the Chair, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are silent but you are addressing them. You please address the Chair.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : नजर वहां चली जाती है तो मैं क्या करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो बोल ही नहीं रहे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आपको ही एड्रैस कर रहा हूं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये आप छोड़ो, अपनी इमेज को सुधारो। आड वाणी जी ने पाकिस्तान में जरा सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने उनको एक बाजू में उठाकर रख दिया, क्योंकि आपके आर.एस.एस. और झण्डेवाले ही तैयार करते हैं। झण्डेवाला क्या मैदान है, Jhandewalan may be an area in Delhi. I do not know the geography of Delhi. Remote control is in their hands. They decide as to who should be the president of their party. It is unfortunate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Address the Chair.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अब यह थोड़ा अनफोर्चुनेट है कि इस पार्टी का प्रेसीडेंट कौन होगा, यह कोई दूसरा आदमी तय कर रहा है कि इस पार्टी का प्रेसीडेंट यह होगा। वह इनकी जो इमेज है, वह इमेज हम तो वापस जो 1991-92 में जो किया था, उसी जगह पर ये आज वापस आ रहे हैं। अब रामजीलाल सुमन जी आ गये हैं, मुझे दहशत है कि ये रथयात्रा में वही रिपीट करेंगे, इसलिए आप यू.पी. में निकलने नहीं देंगे-पहली बात। जो कुछ भी करना, मैं उनसे कह रहा हूं कि उसे निकलने मत देना। इसलिए मैं आपसे...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions not to be recorded.

*(Interruptions) ... **

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे साथी इस बिल का समर्थन करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मेरे दोस्तों ने अपने जो ऑब्जैक्शंस रेज़ किये हैं, Their remarks do not stand as they are imaginary and illusions. उनके मगज के अन्दर है, इस देश के अन्दर जन्मा हुआ आदमी इस देश का नागरिक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी नाते का हो, किसी भी क्लास का हो। जो राज ऐसे नागरिक की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे राज को चलाने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक को पहले 11 नवम्बर, 2004 को पास किया गया था, लेकिन मुझे लगता यह है कि उस समय इस बिल के पास होने के बाद सरकार के पासतमाम संस्थाओं द्वारा और व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां आई होंगी कि इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। उन्हीं कमियों और खामियों को देखते हुए यह संशोधन अधिनियम सदन में लेकर आये हैं।

जहां तक इस अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का सवाल है, यह बात दुरुस्त है कि इसका दायरा पहले से कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेरा मोटे तौर पर यह मानना है कि स्वागतयोग्य होने के साथ-साथ यह अल्पसंख्यकों के हक में एक सुधारवादी कदम है। सरकार का तो कहना यह है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा सम्बन्धी सवालात को हल करने, परीक्षा अनुदान मिलने, उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने में यह विधेयक सहूलियत प्रदान करेगा, लेकिन जहां तक शैक्षणिक संस्था आयोग का सवाल है। इसके

काम करने का दायरा बहुत सीमित है, इसके बहुत मर्यादित अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रचार-प्रसार, उसकी गुणवत्ता से कोई सरोकार इस आयोग का नहीं है।

इस आयोग के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। जिससे अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया जा सके। इस आयोग की मूल धारा 12 के पश्चात 12 (क) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के ि वरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा। यह व्यवस्था ठीक है, लेकिन अपील करने के बाद सक्षम अधिकारी ने यदि गलती की है तो उसके ि वरुद्ध दण्ड का क्या प्रावधान है? उसे आप कैसे दण्डित करेंगे? इसकी क्या व्यवस्था इस एक्ट में की गयी है? इस पर रोशनी डालने का काम माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर करें।

जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। मैं आपकी मार्फत भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में हालत यह है कि वे अपनी शिकायतों को लेकर कहां जाएं। हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक आयोग है। देश के स्तर पर और कुछ प्रान्तों में भी अल्पसंख्यक आयोग है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आजाद हिन्दुस्तान के सिर्फ 14 सूबों में अल्पसंख्यक आयोग बने हैं। सरकार को अपील करके, राज्यों से सम्पर्क करके, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग अभी तक नहीं बने हैं, उन राज्यों को अपने-अपने सूबों में अल्पसंख्यक आयोग बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए।

आज तालीम की हालत क्या है? देश के ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा अशिक्षित है और शहरी मुस्लिम आबादी का 54 फीसदी हिस्सा अशिक्षित है। एक्सएन इंडिया, जहांगीराबाद मीडिया इंस्टिटयूट व इंडियन सोशल स्टडी से संबद्ध नौ सो से अधिक संगठनों ने गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में हाल ही में एक सर्वे किया है। उसके मुताबिक मुसलमानों की सिर्फ 23 फीसदी लड़कियां ही मैट्रिक तक शिक्षा पाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़के या लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि परिवार की माली हालत ठीक न होने से वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आज उच्च शिक्षा की बात हो रही है। यह जो कमीशन बन रहा है, इस कमीशन का भी मतलब यह है कि सिर्फ विश्वविद्यालयों, कालेजों से संबद्ध समस्याओं को यह कमीशन हल कर पाएगा। प्राइमरी स्तर पर, इंटर के स्तर पर मुसलमानों की जो शिक्षा की हालत है, उसे सुधारने का काम नहीं करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। एक निश्चित वर्ग को तो इसका लाभ मिल सकता है लेकिन जो उपेक्षित हैं, बेसहारा है, लाचार हैं, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधरे? यदि उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके कोई अपेक्षित परिणाम निकलेंगे।

एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों की बहुत ही कम संस्थाओं को केन्द्र से मदद मिलती है। सिर्फ 67 फीसदी शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकारों से बहुत थोड़ी मदद मिलती है, जिनमें 57 फीसदी शिक्षण संस्थाओं का संबंध मज़हबी तालीम से है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि गरीब मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोज़ाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां बड़े पैमाने पर कांच का काम होता है। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे कांच के कारखानों में काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि यदि ये कारखानों में काम नहीं करेंगे तो इनके घर पर खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस मजबूरी में बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं । सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों की माली हालत सुधरे और उनके परम्परागत उद्योगों को संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। जब कभी भी अल्पसंख्यकों की बात आती है, रासा सिंह रावत जी यहां बैठे हुए हैं, बची सिंह जी चले गए, रासा जी, आपने सब तरह के प्रयोग कर लिए और इस देश में जिस तरह के हालात बने, जब आप ताकत में आए थे, तो किसी नीति, सिद्धान्त पर नहीं आए थे, बल्कि जज्बात पर आए थे । सियासत जज्बात से नहीं होती। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है और जब कभी देश की प्रतिठा दांव पर लगी है, हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने सिद्ध कर दिया कि इस देश की सरज़मीं से जितनी हिन्दुओं को मोहब्बत है, उससे कम मोहब्बत मुसलमानों को नहीं है। इसके बाद भी बार-बार ऐसे सवाल उठाना जिससे उनकी नीयत पर शक हो, अत्यधिक चिन्ताजनक बात है।

मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग हैं। अगर इस देश की तरक्की करनी है, इस देश को मजबूत बनाना है, तो समाज की सारी शक्तियों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा।

हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो

चलो तो सारे जमाने को

साथ लेके चलो।

यह अपने आपको हिंदु धर्म काठेकेदार कहते हैं। मैं रासा जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हिन्दु धर्म की बात करेंगे, तो इस देश में वि वेकानन्द का हिन्दु धर्म चल सकता है, लेकिन गोवलकर का हिन्दु धर्म नहीं चल सकता। इसलिए उदार बनने की आवश्यकता है।

अंत में यही निवेदन करूंगा कि अकलियतों की शैक्षिक संस्थाओं में सुधार के लिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अल्पसंख्यकों की माली हालत, तालीमी हालत कैसे सुधरे, सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हालांकि पहले आर्डीनैंस लाया गया और उसके बाद यह बिल केवल संशोधन के लिए है। जब यह विधेयक लाया गया था, तब भी हम अपनी पार्टी की ओर से कह रहे थे कि इन सब मामलों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे इसे बार-बार सदन में लाना पड़े, इसे वाइडर कंसल्टेशन करके ही करना चाहिए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि वक्त का तकाजा था, जरूरत थी, क्योंकि जब यूपीए सरकार बनी, तब सब लोग चाहते थे कि इस मुल्क में अकलियतों के हालात को सुधारने में हुकुमत-ए-हिन्द एफरमेटिव एक्शन ले। आज के जमाने में पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वे धर्म के आधार पर हों, चाहे भाा के आधार पर हों, चाहे जाति के आधार पर हों, उनके लिए एफरमेटिव एक्शन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा ही एक पॉज़िटिव एफर्ट है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जब सुमन जी इसके बारे में बोल रहे थे, तो स्वामी विवेकानन्द की बात कह रहे थे। मैं बंगाल से आता हूं। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि परिन्दा बहुत दूर तक उड़ सकता है अगर उसके दोनों पंख हैल्दी हों और वह दोनों पंखों का इस्तेमाल कर सके। इसी तरह अगर इस देश में हिन्दु-मुसलमान दोनों पंख समान तरीके से नहीं चला सकते, तो हम प्रगति के रास्ते पर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए अगर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्टैप लिया जाता है, मैंने सुना है, जिस तरह यात्रा की घोाणा की गई है, एपीज़मैंट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटिज़्म, वे तमाम दर्शन की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार की तरफ से प्रचार हो रहा है। मैं पोलीटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में यह बात होनी चाहिए, क्योंकि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर देश की शैक्षिक संस्थाओं को देखें, रोजगार को देखें, सरकारी दफ्तरों में देखें, तो अकलियतों की हालत बिगड़ी है। कानून में उन्हें जो अधिकार दिए हुए हैं, वे भी पूरे हद तक लागू नहीं हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 सितम्बर, 1953 को मुख्य मंत्रियों को खत लिखे थे।

उनको ऐसा अंदेशा है, मैं इसे पूरा कोट नहीं कर रहा क्योंकि समय कम है, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ऐसे प्रावधान लेने चाहिए, ऐसा कानून लाना पड़ेगा वरना हम आम फोर्सेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी दफ्तरों, सैंट्रल गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट में माइनोरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनोरिटीज की जो हिस्सेदारी है, वह घटती जा रही है। ऐसा पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने सन् 1953 में मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर हमने सही कदम नहीं उठाया तो बाद में यह हालत और भी बिगड़ जायेगी। मुझे अफसोस है कि पंडित जी की सोच के बाद 50, 60 और 70 के दशक में उस तरह के इकदज़ामात नहीं उठाये गये। आज स्थिति काफी बिगड़ गयी है। आज माइनोरिटीज के सर्वे कराने पर देश में हंगामा मच गया। मैं राजस्थान का एक छोटा सा सर्वे कोट करना चाहता हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब 60-70 के दशक में कांग्रेस की हुकूमत थी लेकिन हालत तो बिगड़ी है। मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 9.3 प्रतिशत मुस्लिम पापुलेशन है। जयपुर के

निर्माण में एक मुसलमान आर्किटेक्ट का योगदान रहा जो इंजीनियर थे। मैं उदाहरण के तौर पर जयपुर शहर के दो कालेजों के बारे में बताना चाहता हूं। यह मैं शहर की बात कर रहा हूं, गांवों में तो और भी बुरी हालत होगी। जयपुर में महाराजा गवर्नमैंट कालेज में वर्ा 2005-06 में टोटल 835 बच्चों के एडमिशन हुए जिनमें से सिर्फ छः मुसलमान हैं। इसी तरह गवर्नमैंट कामर्स कालेज में टोटल 1225 एडमिशन हुए जिसमें केवल 13 मुसलमान हैं। मैं किसी के विरूद्ध नाइंसाफी करने की बात नहीं कर रहा। यह वस्तुस्थिति है। मतलब वे लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। पंडित जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है --

"I want to share with you a certain apprehension."… (*Interruptions*)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सलीम जी, आप कोलकाता के बारे में भी बता दीजिए। …(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं पूरे देश के बारे मे बता रहा हूं। मैंने केवल नमूना पेश किया है। कोलकाता में तो और भी ज्यादा होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

मोहम्मद सलीम : मैं पंडित जी की लैटर कोट कर रहा हूं। …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि आप रासा जी को एड्रेस न करके चेयर को एड्रेस कीजिए।

…(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं। रासा जी डिबेट में कुछ रस चाहते हैं। पंडित जी ने कहा है --

> "I want to share with you a certain apprehension that is growing with me. I feel that in many ways the position relating to minority groups in India is deteriorating. Our Constitution is good and we do not make any distinction in our rules and regulations of law but in effect changes creep in because of administrative practices of officers. Often these changes are not deliberate, sometimes they are so."

इसलिए कानून की जरूरत होती है, प्रावधान की जरूरत होती है। अभी हम यह करने जा रहे हैं तो वह कहते हैं कि माइनोरिटिज्म हो रहा है। आप देखिये कि यह कानून या ऐसा कोई भी कानून हो, it arises from the Constitution. कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15 कहता है कि :

> "Nothing in the article or in clause 2 of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. "

संविधान यह प्रावधान करता है कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेा प्रावधान की जरूरत है। मैंने इसलिए कहा कि यह राइट टू इक्विलिटि है। यह कहते हैं कि इक्विलिटि नहीं हो रहा। आप यह इक्विलिटि ठीक नहीं कर रहे हैं। यह अपीजमैंट हुआ, मतलब इक्विलिटि नहीं हो रहा। फंडामेंटल राइट इक्विलिटि की बात करता है। वह कहता है कि स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। बल्कि यह भी कहती है कि कहीं ऐसा देखा गया कि इक्वैल नहीं हो रहा तो स्पेशल अरेंजमैंट करना पड़ेगा। इसे करने की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट को कोट करना चाहता हूं कि इक्विलिटि आने के बावजूद इक्विलिटि नहीं होता तो आपको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा--टू ब्रिंग इक्विलिटि। इसको पोजीटिव डिसक्रीमिनेशन बोलते हैं। …(व्यवधान) यह मार्कसिज्म नहीं है। Marxists will say that everybody shall be treated equally.

यह मार्क्सिज्म नहीं है। हर कोई ईक्वल है। पचास साल के बाद हालात देखकर मैं कह रहा हूं कि एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है और आपको मैकेनिकली, ईक्वली बोलने से नहीं चलेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। It is not a Marxist quote. I am telling you it is contrary to the Marxist orthodox view. It is for your kind information. I am demolishing the philosophy of minority which you are telling. The hollowness of the philosophy of minority, it is not minority. मैं सोली सोराबजी को कोट कर सकता हूं कि आपको पॉजीटिव डिसक्रिमिनेशन करने की जरूरत है। You cannot bring the backward section at par with the advanced section. यह सोशल टेंशन बढ़ाता है। इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को पीछे छोड़ते जाएंगे तो वह पीछे से आपको खींचेगा। इसी प्रकार से When they talk about minority, it is exclusive representism.. Hinduism or ethos of Indian culture or ethos and even the spirit of Indian Constitution do not encourage exclusivity. It is inclusivity. सबको लेकर चलना पड़ेगा। यही कारण है कि हम इस ि वधेयक को समर्थन कर रहे हैं।

अकसर अखबारों में, टेलीविजन में बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, भााण दिये जा रहे हैं कि देखो, यह मॉइनॉरिटीज का अपीजमेंट हो रहा है, उस तथ्य को तोड़-मरोड़कर जो पेश किया जा रहा है, उसकी मैं मुखालफत कर रहा हूं कि अगर शिक्षा में कोई पीछे है तो उसको अलग उठाकर शिक्षा में ले आते हैं और उसके लिए प्रावधान करते हैं तो वह देश के लिए या राइट टू एजुकेशन के खिलाफ नहीं है और आज की इस स्थिति को देखते हए मैं समझता हूं कि कानून में प्रावधान चाहिए और उस प्रावधान से यह होता है कि कोई अगर डिसक्रिमिनेशन करना चाहे तो उसमें रोकथाम होगी। विधेयक में इसी संबंध में कहा गया है कि अगर कोई एनओसी चाहता है और एनओसी अगर वार्ों से नहीं मिलता है तो उस जगह पर हम उसे टाइम-बाउंड कर सकते हैं। मैं उसका वैलकम करता हूं। मैं बंगाल से आता हूं। बंगाल में भी ऐसा है। जो सैट-अप है, मैंने नेहरू जी के खत का जो जिक्र किया कि अगर कोई माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन एस्टेबिलिश करना चाहे तो उसे एनकरेज करने की बजाए अगर डिसकरेज किया जाता है, मोटीवेट करने की बजाए अगर डीमोटीवेट किया जाता है, अगर उसे स्पीडी करने की बजाए स्लो-डाउन किया जाता है तो अगर कानून में प्रावधान होगा तो माइनॉरिटीज अपने हक का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन Then, I am coming to the CPI(M)'s politics and apprehensions.

हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, हम ऐसे किसी सेंटर में बैठकर नहीं कर सकते कि जो इलैक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उनके अख्तियारों में कोई खामी हो जाए। डैमोक्रेसी सोसाइटी में है। एजुकेशन का जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह बैकवर्ड सैक्शन के साथ ज्यादा होता है, एक इंडिविजुअल अगर यह चाहे और अगर एक इंडिविजुअल को एपाइंट कर दिया जाए और वह माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन की आड़ लेकर जो डैमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या जो सैकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्टेचुटरी प्रोविजन है, उसे अगर कोई बाइपास करना चाहे तो वह एक अंदेशा रह जाता है, इसलिए उसे एड्रैस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं कि यह कांफ्लिक्टिंग है। इसके लए मैं कमीशन को भी बधाई देता हूं। कमीशन को इस बात को ध्यान में रखने का मौका मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इट इज ए ज्यूडिशियरी प्रोसैस, यानी उसे जस्टिस मिलना चाहिए और जब फाइनल जजमेंट की तरफ पहुंचेंगे तो इस मामले में, कांस्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स को ध्यान में रखेंगे और हमारा जो फैडरल और सैकुलर स्ट्रक्चर है, वह टैम्पर नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यू.पी.ए. सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया कि माइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए गंभीरता से काम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। Tokenism will not work. अकसर इस देश में हमने माइनॉरिटीज के लिए लालकिले से घोाणा कर दी है, छोटामोटा कुछ टोकेनिज्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक सैक्शन को तो फायदा पहुंच सकता है लेकिन जो लोग इस देश के लोगों को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, वे कहते हैं कि सब कुछ मुसलमानों को मिल गया जबकि मिला तो कुछ नहीं और हालत बिगड़ी ही हुई है लेकिन घोाणाएं हो गई, उससे उसका नतीजा खराब हो गया।इससे आप भी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और स्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए एपीजमेंट की थियोरी से न डरते हुए, हमारे देश की जनता के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है, उसे आपको और हम सभी सेकुलर ताकतों को मिलकर काउण्टर करना होगा।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक प्रधान जी,आपकी पार्टी की तरफ से कई सदस्यों को बोलना है, इसलिए आप बैठ जाइए।

* Not Recorded.

श्री विजय कृण (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक वर्ा 2004 में पारित किया गया था लेकिन इसमें कुछ कमियां रहीं। अल्पसंख्यक भाइयों के हित व्यवस्थित हों और जन भावनाओं को देखते हुए यूपीए सरकार यह जो विधेयक लाई है वह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी है। इस विधेयक का हर वर्ग की ओर से समर्थन होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 30 इस बात की गारन्टी देता है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस तरह की

संस्था बनाने का हक है और उनको इसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों देखा यह गया है कि राज्यों में कार्य कर रहे और पिछले अधिनियमों में इसे सिर्फ कुछ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रखा गया था। इससे माइनारिटी समुदाय के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और निचले स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए आयोग को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसूचित विश्वविद्यालयों के बीच सम्बद्धता सम्बन्धित विवादों के अवधारण करनी शक्ति इस विधेयक में दी गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत दी गयी गारन्टी से अल्पसंख्यक संस्थाओं को वंचित किए जाने या अतिक्रमण के मामलों में विनिश्चय करने का एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने अल्पसंख्यकों को जो गारन्टी दी है, उसे और मजबूत बनाया जाए और ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि यदि किसी माइनॉरिटी संस्था को कहीं एफिलिएशन पाने के लिए लम्बे समय तक मना किया जाता है या एफिलिएशन नहीं दी जाती है तो 90 दिनों के भीतर किसी न किसी रूप में उसका निदान हो सके। हमारे माननीय साथी श्री बच्ची सिंह रावत जी ने इसके फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। मैं समझता हूँ कि उनकी आशंका कट्टरपन की आशंका है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Vijay Krishna, I am requesting you to please address the Chair and not other Members.

श्री विजय कृण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र सरकार द्वारा सभी के लिए चलाया जा रहा है और इसमें कहीं से राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है । सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई सम्बद्धता है, कोई संगठन या संस्थान को उसमें बाधा हो रही है, तो उसे संरक्षण दिया जाए, यह प्रावधान इस बिल में किया गया है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि इस पर कहीं से भी फैडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं पहुंचती है। यूपी सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, यह उस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मैं मानता हूं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में जो अड़ंगा लगाया जाता है, उससे इसे मुक्ति मिलेगी। अब आयोग को जो अधिकार मिलेगा, उसके तहत 90 दिनों के अंदर कोई न कोई फैसला हो जाएगा। इस तरह से एक संरक्षण की स्थिति बनेगी। इस विधेयक के पारित हो जाने से जो संरक्षण उन्हें मिलेगा, उसमें जो यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे तुटिकरण को बढ़ावा मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसका एक प्रावधान यह भी है कि जो इनके नियम, कानून और कायदों को नहीं मानेगा, अतिक्रमण करेगा, ऐसी स्थिति में इस आयोग को उसे रद्द करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह संस्था नियमों और विहित प्रतिशतता के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने में यदि असफल रही, तो वैसी स्थिति में सम्बद्धता को रद्द करने का भी अधिकार आयोग को दिया गया है। इस तरह से आयोग को चैक एंड बैलेंस करने का और समन्वित करने का अधिकार दिया गया है।

इस आयोग को न्यायिक शक्तियां भी मिली हैं। विधेयक के उपबंध में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग द्वारा किए गए आदेश को उसके द्वारा किसी सिविल न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकेगा। मैं समझता हूं यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। जो पीछे के दिनों में कमियां रही हैं, उनके देखते हुए यह विधेयक उन्हें परिमार्जित करने के लिए लाया गया है। अर्जुन सिंह जी की तरफ से, फातमी जी की तरफ से और यूपीए सरकार की तरफ से जो यह कदम उठाया गया है, इसे हर तरफ से समर्थन मिलना चाहिए।

जिन लोगों को इसमें मुस्लिम तुटिकरण की, अल्पसंख्यक तुटिकरण की बात नजर आती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में विभिन्न भााई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 20 करोड़ है। इसलिए इस मामले को तूल देने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है। जिन लोगों ने पहले एक रथ यात्रा निकाली थी, अब फिर दूसरी रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। मैं कल की बात बताना चाहता हूं। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत जी ने उन लोगों को दरकिनार करने का काम किया, जो मंदिर में जाकर दर्शन के बाद धरना देना का काम करना चाहते थे। जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बहुमत की साम्प्रदायिकता से अल्पमत की साम्प्रदायिकता को रौंदने का काम करना चाहते हैं। दोनों चीजें खतरनाक हैं। अगर अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता ऊपर आती है तो बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता पनपती है और जब बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता तेजी से रेंगती है तो अल्पसंख्यकों के मोडरेट लोगों की मौत होती है और कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा मिलता है। इससे आतंकवाद बढ़ता है। मैं हिन्दुओं के आध्यात्मिक पीठ संकट मोचन के महंत जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कल कट्टरपंथियों को दरकिनार करने का काम किया।

आज दुनिया की जो स्थिति है, उसमें सोवियत रूस का अस्तित्व नहीं है। वह एक कमजोर स्थिति में है। इराक मामले में हम लगों ने मजबूती से अपनी बात कहने का काम किया है। संसद ने भी उसकी निंदा करने का काम किया था। इसी तरह से ईरान के सवाल पर भी हमारी सरकार मजबूती से अपनी बात रखने का काम कर रही है। हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम उससे भी रिश्ते मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जो भााई और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारी ओर निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई तुटिकरण की बात नहीं है।

संविधान की धारा 30 में जो प्रावधान किया गया है, उसे संरक्षित करने का, मजबूत करने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस कदम की हर तरफ से सराहना की जानी चाहिए। मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो साम्प्रदायिकता को तूल देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वे ऐसा न करें और सब लोग मिलकर यह जो संरक्षण देने की, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसमें सरकार का साथ दें। साम्प्रदायिकता का सिद्धांत बेइमानी का सिद्धांत है, अवसर का सिद्धांत ईमानदारी का सिद्धांत है, यह डा. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं।

यह राममनोहर लोहिया जी के शब्द हैं। समानता का सिद्धांत बेईमानी का सिद्धांत है, विशेा अवसर का सिद्धांत ईमानदारी का सिद्धांत है। जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे मजबूती से संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए और इस दिशा में यह विधेयक ऐतिहासिक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फातमी जी, मैंने आपसे एक क्लैरिफिकेशन लेनी है कि जब आप लास्ट में स्पीच करेंगे तो उसमें जरुर क्लीयर करेंगे कि एससी और एसटी की सीटें माइनोरिटीज के इंस्टीट्यूशन्स में कितनी होंगी? मान लो कि उनमें 100 सीटें होंगी तो माइनोरिटी को 50 प्रतिशत के हिसाब से 50 सीटें चली जाएंगी और एससी को बाकी जो 50 मिलेंगी, उनमें से 17 मिलेंगी या टोटल जो 100 है उसमें से रिजर्वेशन मिलेगी या माइनोरिटीज की निकालकर बाकी 50 प्रतिशत सीटों में से सीटें मिलेगी। मान लो कि 100 सीटें हैं तो 50 तो माइनोरिटीज को निकल गयीं। जो 50 सीटें रह गयी उनमें से 17 सीटें रिजर्वेशन होंगी या 100 में से 33 सीटें एससी को मिलेंगी।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स के वल वह नहीं है जिसे माइनोरिटी ने कायम किया है, वरन वे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार ने माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स होने की मान्यता दी है। एक समस्या आज तक यह थी कि एक इंस्टीट्यूशन कायम होता था, भूमि-भवन के हिसाब से वह मानक से बड़ा होता था लेकिन जब तक राज्य सरकार उसको माइनोरिटी की मान्यता नहीं देती थी तब तक वह माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाता था। इस विधेयक से वह प्र ॉब्लम कुछ कम होगी। मैंने खुद एक इंस्टीट्यूशन अपनी अगुवाई में कायम किया और भूमि-भवन के मानक से तीन गुना ज्यादा होने के बा वजूद, 98-99 प्रतिशत रिजल्ट लाने के बावजूद 6 साल से आज तक राज्य सरकार ने उसको माइनोरिटी का दर्जा नहीं दिया है। इस ि वधेयक से ऐसे लोगों की परेशानियां कम होंगी। इसलिए इस विधेयक के जरिये कमीशन को यह अधिकार मिलेगा कि अगर राज्य सरकार सारे मानक पूरे होने के बाद भी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं देती है तो वह इंस्टीट्यूशन इसमें अपील कर सकेगा और अगर उसका मानक सही है तो उसे वह दर्जा आसानी से मिल सकेगा।

15.48 hrs. **(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)**

हमारे भाजपा के दोस्तों ने शिक्षा के अवसर का सवाल उठाया। मैं एक हजार मिसालें दे सकता हूं जब माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स से शिक्षा का स्तर ऊपर उठता है और टीचर्स पर अगर कंट्रोल मैनेजमेंट का होगा तो टीचर्स मेहनत से पढ़ाएंगे। माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स में क्योंकि टीचर्स को नौकरी से निकालने का भी अधिकार होता है और अपनी मर्जी के टीचर्स रखने का भी अधिकार होता है, इसलिए वहां शिक्षा अच्छी होती है।

क्रिश्चियन माइनोरिटी ने जितने भी इंस्टीट्यूशन्स कायम किये हैं, उनमें सबसे ज्यादा भाजपा के लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं। वे भी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं लेकिन आपके दिमाग में केवल यही बात है कि मुसलमानों के ही इंस्टीट्यूशन्स माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं। भाजपा के लोगों को या तो माइनोरिटी लफ्ज से चिढ़ है या वे मैजोरिटी को खौफ में रखकर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारे बच्चीसिंह रावत जी ने तुटिवाद, अल्पसंख्यकवाद और मेन-स्ट्रीम की बात की है। मैं पहले मेन-स्ट्रीम पर आता हूं। मैं पहले मेन स्ट्रीम की बात कहता हूं। यह सच्चाई है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं घंटों तक इस पर बहस कर सकता हूं कि आजादी के बाद से जो तथाकथित मेन स्ट्रीम है, जो राट्रीय कौमी धुरी है, कभी भी अल्पसंख्यक उसके साथ चलने से पीछ नहीं था, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि जो राट्रीय कौमी धारा थी, जो मेन स्ट्रीम थी, वहीं अल्पसंख्यकों से किनारा करके निकल जाती थी, उसको शामिल ही नहीं होने देती थी। अब 10-15 सालों के बाद हालत कुछ बदली है और आपने देखा कि जब से कौमी धारा ने अल्पसंख्यकों से कतराकर निकलने का चलन छोड़ा है, तब से हर सतह पर, हर मैंदान पर अल्पसंख्यकों ने अपनी योग्यता का सबूत दिया है। जहां तक हमारे देश की क्रिकेट टीम की बात है, पहले सिर्फ सेक्यूलर दिखाने के लिए, बड़ी मुश्किल से एक मुसलमान टीम हो होता था और अब तीन-तीन, चार-चार लोग टीम में लिए जाते हैं यानी मेन स्ट्रीम अल्पसंख्यकों से कतरा के नहीं बह रही है और उनको साथ लेकर चल रही है। उसका फायदा देश को मिल रहा है। ये लोग तुटीकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तुटीकरण किस का हुआ है? कभी तो आप ईमानदारी से बात करिए। मैं कहता हूं कि आजादी के बाद जब हमारे यहां आरक्षण लागू हुआ और अल्पसंख्यकों और तुटीकरण की बात आयी, तो इसके लिए आप या तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं या फिर यूपीए पर आरोप लगाते हैं। आप और किस पर आरोप लगायेंगे, सरकार ही इन्हीं लोगों की है। जब शेड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षण दिया गया, तो संविधान में यह कहीं लिखा गया कि शेड्यूल कास्ट्स हिंदू होगा तभी यह माना जाएगा, लेकिन सरकार ने एक नोटीफिकेशन राट्रपति से साइन कराके जारी कराया कि धोबी अगर हिंदू है, तो ही वह आरक्षण पाएगा, अगर मुसलमान या क्रिश्चियन है तो वह आरक्षण नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुटीकरण इसी को कहते हैं? शेड्यूल कास्ट्स की सूची में इस तरह की 13 जातियां थीं, जिनको आज तक मुसलमान या क्रिश्चियन होने के कारण आरक्षण नहीं दिया गया। सिखों ने लड़ाई लड़कर अपना नाम इसमें जुड़वाया। बाद में श्री वी.पी.सिंह के समय में बुद्धिस्ट को भी इसमें शामिल किया गया। क्या यही तुटीकरण है कि आज तक मुसलमान धोबी शेड्यूल कास्ट नहीं है और हिंदू धोबी शेड्यूल कास्ट है? क्या इसी को आप तुटीकरण कहते हैं? महोदय, रात हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, मैं जुबानी गिना सकता हूं और तुटीकरण की मिसाल आपको दे सकता हूं। अल्पसंख्यकवाद क्या है? आडवाणी जी ने भी यह कहकर रथयात्रा शुरू कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकवाद से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। क्या अल्पसंख्यकवाद यही है? आज सही मायने में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के वोट अगर देखे जाएं, तो उसको जितने वोट मिले हैं, उसमें मुसलमानों के वोट कितने हैं? कैबिनेट में उनका एक और ग्यारह का हिस्सा बनता है, अगर देश् की आबादी के हिसासे से 13 प्रतिशत जोड़ा जाए, तो कैबिनेट में 13 प्रतिशत मुसलमान होने चालिए, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ दो ही है।

आप बंगाल की बात कर रहे थे। कांग्रेस के तीनों एमपी, चाहे प्रणव मुखर्जी जी हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी जी हों और चाहे ए.बी.गनी खान चौधरी हों, तीनों भारी मुस्लिम आबादी से, यहां तक कि मेजोरिटी कांस्टीच्युएंसी से जीतकर आए हैं, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ दो मुसलमान हैं। क्या यही अल्पसंख्यकवाद है? अभी 12 लोग राज्य सभा के लिए नामिनेट हुए हैं। वह सूची आप के जमाने में बनी थी। आपने उसको नहीं नामिनेट किया, जो तुटीकरण की बात करते हैं, वे एक मुसलमान रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार चली गयी और एक मुसलमान नहीं तलाश कर पाए। क्या यही तुटीकरण है? 12 में से एक भी मुसलमान को इन्होंने शामिल नहीं किया। मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। अगर तुटीकरण पर मुझको बोलना हो, अल्पसंख्यकवाद पर बोलना हो, तो 24 घंटे मैं बोल सकता हूं और मेरी मिसालें खत्म नहीं होंगी। तुटीकरण नहीं हो रहा है। उनको पचास सालों से हर मैदान में पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। कभी तुटीकरण नहीं हुआ। ये शब्द गलत हैं, लेकिन आपने इनका इतना प्र ाचार किया, कभी हिटलर के जमाने में गोएवल्स का यह फार्मूला था कि झूठ को इतना ज्यादा बोलो, इतने बड़े पैमाने पर फैलाओ कि उसे दुनिया सच मान ले। आज भी वह सच होता है। तुटिकरण का लफ्ज आते ही हर आदमी समझ लेता है कि यह मुसलमानों की बात है। आप जब अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं तो हर आदमी समझ लेता है कि यह मुस्लिमवाद की बात है। अल्पसंख्यकवाद का यही मतलब है। आप राट्रीय मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं तो हर आदमी समझ लेता है कि आप मुसलमानों की शिनाख्त के दुश्मन हैं ताकि उनकी पहचान गुम हो जाए। हालांकि हमारा देश फुलवाड़ी और गुलदस्ता है। हमें सबसे ज्यादा फख्र इस बात पर है कि हमारे देश में हजारों नस्लें हैं, हजारों जुबानें बोली जाती हैं और सभी मजहबों को मानने वाले लोग हैं। यह केवल गुलाब की खेती नहीं है। यह फुलवाड़ी है, गुलदस्ता है। यही हमारी खूबी और खूबसूरती है। आपने अल्पसंख्यकवाद, तुटिकरण और राट्रीय मुख्य धारा में लाने की बात कही। गलत इस्तलाह में सच्चाई छुप कर रह गई। मिस्त्री जी ने समाजवादी पार्टी के दोस्तों से कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें यह गलती करने की सलाह मत दीजिए। कांग्रेस के लोगों को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। मैं कहता हूं कि रथ यात्रा जम्हूरी हक है। वह उत्तर प्रदेश की धरती पर खूब दनदना कर निकालें। इंशा अल्लाह जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा पता लगा जाएगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चलती, इत्तफाक् से एक बार उसमें खाना बन गया. अब हांडी जल जाएगी, खाना नहीं बनेगा। अब सब लोग समझ चुके हैं।

सभापति महोदया, मैंने कभी भी अपने निश्चित समय से ज्यादा समय नहीं लिया है। इससे पहले आप घंटी बजाएं, मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरी ताईद के साथ इस विधेयक का समर्थन करती है। पहले वाले विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया हैं इसलिए मैं अर्जुन सिंह जी और फातमी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारक वाद देता हूं। यह एक नई शुरुआत है। अगर आगे नीयत सही रही तो बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to discuss the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2006 which has been passed by the Rajya Sabha and now we are deliberating on that.

Before I come to the content of the Bill, I would just like to remind this House that we had deliberated on the concept of this Bill in December, 2004 and the Act came into force on 6th January, 2005. The amendment to this Bill was mooted in August, 2005, just 8 months after the Act came into force. The Ordinance on this Act was issued on 23rd January, 2006 and the Budget Session of Parliament commenced from 16th February, 2006. When the House was going to sit just three or four weeks later, what was the necessity and urgency to have this Ordinance promulgated? I would be happy if the Minister can apprise this House of the urgency of bringing this Ordinance.

16.00 hrs.

This Bill was debated in 2004. During that discussion, I had also participated and my concluding lines were: "Do not rush this Bill." To this, Shri Salim, hon. Member from West Bengal, from the Left Front, has also ventilated that view that do not bring a Bill or promulgate an Ordinance or implement an Act in a half-hearted manner because again and again you will be repeating an Ordinance and again and again you will be bringing an Amendment.

I am no fortune-teller nor I can read the future. My apprehension is that again, if not this Government, another Government or if at all again this Government within this year, in 2006, may bring another Amendment to the Bill, which we are discussing today.

It is a good thing that the Schedule, in which the names of six universities were mentioned, has been omitted. At the outset, I should also say that we, the BJD, are in support for advancement of education of the religious minorities that are there in this country. We are in support of that section of religious minority, especially, the women, who are totally relegated to the background, who do not get that much of educational opportunity, that their education should be addressed utmost. It is not being done for the last so many years.

But at the same time, I should say that making special provision for minorities are not a mistake. I do not subscribe to that view nor our Party subscribes to that view. Rather minority educational institutions should be given more help and support. We subscribe to the view. We subscribe to that view that minority educational institutions should be given more support by the respective State Governments and also by the Central Government.

At the same time, the question which repeatedly arises, the Constitution is silent on that, is, who is a minority. When we read article 30, it clearly states both, the religious minority and the linguistic minority. When an Act was promulgated in this country, when an Amendment has come, when a Bill has come to this House, we have to discuss both, the religious minority and also the linguistic minority.

What I find in this House is, it also happened last time, that the linguistic minority problem is never discussed. It is always the religious minority because of parochial mindset, Members from different sides always speak on the religious minoritism. I have not heard any one speaking on linguistic minority. I shall come to it later on.

But at the beginning, I should say, I hope the intention of bringing this Bill is a noble one. But what is the real purpose in bringing this Bill in the manner in which it has been brought? As I have stated, it came in last December 2004, the Amendment came in August, the Ordinance came in January, in between it went to the Standing Committee and now the Amendment Bill has come in 2006 in the month of March. This clearly demonstrates the intention. It gives scope to very many people not only in this House but also outside to cast aspersions about the intention of bringing this Bill. This should be clarified.

In this Bill, the Commission will determine which is a minority institution. While going through the Bill I found that, and I would like to draw the attention of the hon. Minister, where it is mentioned, 'a National Minorities Commission Act is prevalent since 1992'. A National Commission is there and that Commission will determine which is a minority institution.

If that Minorities Commission is not going to determine, then it will come to this Commission on Minority Educational Institution. Should we have two institutions in this country which will determine which is a minority institution?. Is it through this Bill that only the Commission on Minority Educational Institution will determine which is a minority institution? That leads to the other question, how are you going to determine a minority institution? Suppose somebody comes with an application and claims: "Mine is a minority institution", accordingly it has to be determined. Have you fixed certain criteria, certain guidelines, according to the law so that a minority institution can establish itself that this is a minority institution? What are the criteria? What are the guidelines? Where are the Rules? I do not see anything that is there in this Bill.

The answer to the basic question – again I come back to that, that is, who is a minority – still remained unanswered. Minority, as I have said, is of linguistic and also religious nature. This Bill overrides the power of the State. It has been already ventilated in this House that we have a federal structure. States are empowered by certain guidelines and law to determine, to administer the educational institutions. The federal structure of the nation is being challenged and this needs to be addressed. What is the compulsion of allowing educational institutions to be affiliated to another University which is outside that State? What is the compulsion? I am not aware of that. The Government can enlighten us whether any study been made that such member of or such an institution is not being allowed affiliation by the respective University of that State and how many of such instances have come to light so that it becomes such a larger issue that a law is to be passed by the Parliament? This is a prerogative of the respective State. State has to administer educational institution. It is a concurrent subject, no doubt. Everywhere in the Bill sometimes it is mentioned 'institutions', sometimes it is said that they have to take affiliation,

recognition from that University. So, an impression is created that 'institutions' mean only the higher education. I want to know if it is only the higher education, not schooling, secondary or primary. Certain figures were also read out by Shri Madhusudan Mistry, the hon. Member from the Ruling Party. He gave the figures of different Universities. If this is the case of different Universities, I would like to know how many institutions have applied for affiliation or recognition from that State's different Universities which were denied or delayed. No such figure has come to light, at least to my knowledge. I would be happy if I am educated on that aspect.

Here I would also like to mention, Madam, that the Christian community in this country has done a yeoman's service to expand education in nook and corner of the country. But at the same time I would say that nowhere, not a single minority educational institution from that community has ever complained that they have been denied affiliation and recognition from that State University or from that State Government.

I say again that the rights of the minorities to establish and administer educational institutions are enshrined in the Constitution. We support that, and it is necessary that all the linguistic and religious minority communities should strive to establish educational institutions. But the State should be given the prime responsibility to provide that support. This Bill overrides the State's power and the right to education where the federal structure of the nation is being challenged.

It is a pertinent question to find out where the funding is coming from. Has this Commission got the power to determine the financial capability? I do not see anywhere in this Bill that it has the power to determine the financial capability of that institution. It is only the State Government which has that power. If you come again with an amendment, again this House will sit and deliberate on that but such mechanism is not there. Similarly, it is necessary on the part of the State Government to find out how that organisation, that institution functions.

Secondly, what type of institutions will be established under this Bill? It is clearly mentioned that the AICTE, the engineering, the medical and even the management institutes have to go according to the law which is prevalent. All these institutions are out of the purview of this Commission. If that is so, if it is only higher education, is it that only the general colleges of arts, science, commerce and such type of higher educational institutions will be established? I do not understand how it will run.

The matter of commercialisation of institutions has also been mentioned. I need not go into that. But I would be obliged if the Minister can clarify what the criteria would be to get the status of minority educational institutions set-up under article 30 of the Constitution. Would it be the percentage of minority students? The Bill does not give any indication about the reservation criteria and how a minority institution will be run.

Now, I come to the linguistic minorities.

MADAM CHAIRMAN : Now, you will have to conclude. Your Party has been allotted only five minutes. You have taken more than 15 minutes. All right, you please conclude within one or two minutes.

SHRI B. MAHTAB : Language has been a major factor in our country. Linguistic States have been formed. At the same time, we all recognise that there are certain linguistic minorities outside the respective States.

It has happened in Karnataka and Maharashtra. It has happened in Kerala and Tamil Nadu. It has happened in Andhra Pradesh and Orissa. It has happened in West Bengal, Chhattisgarh and Jharkhand. There are linguistic minorities all over the country.

What would happen? My apprehension here is that when a linguistic minority educational institution comes up in a State and when it takes affiliation from other State, unless you determine, it will create friction in that State, in that locality or in that district. We are creating a situation where friction will flare up and the law and order situation will become the responsibility of that respective State where it will be difficult on their part to control that. Who will take advantage of this Act? It is the people who have moneybags. They will set up an institution, name it as a minority institution, get the affiliation and recognition from another State. This will give rise to unnecessary friction.

Therefore, madam, my observation is that the Bill is still silent on admission, reservation and funding of minority institutions. The Commission is not empowered to regulate the standard of education of that institution. … (*Interruptions*) Also for employment. Thank you for reminding me. We are for minorities to strengthen their educational institutions. But provide more teeth and strength. The State should not be bypassed. Can I suggest one thing? Why not first ask the minority educational institution to come through the State Government channel? If the State Government does not allow or declines to give affiliation or that respective university does not give recognition or affiliation to that institution, then only the Commission will intervene. I think in that manner the federal nature of our country will remain intact. The power of the State also will be recognised and the Commission also can look into the interests of the linguistic minority and also of the religious minority.

But earlier I had said, do not rush through this type of Bill. It needs serious discussion. I am not in favour of debate, but discussion is necessary between the respective interested groups. The manner in which again this amendment has

come, it clearly demonstrates that this is again another half-hearted attempt. The Ordinance clearly demonstrates that. Today, I may say that much more amendments will follow. This is my apprehension. The intention of this Bill is not to empower the minorities, but to play politics.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं इस राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 का ि वरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उर्दू के एक शायर ने कहा है :

न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है,

बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है।

सभापति महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यू.पी.ए. सरकार जिस भावना से यह बिल लेकर आयी है, उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । एक विदेशी विद्वान भारत यात्रा पर आया। जब वह वापस जाने लगा और जहाज पर स वार होने के लिये आया तो कई पत्रकार उसके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपको हिन्दुस्तान में सब से विचित्र क्या चीज़ लगी? वह विदेशी विद्वान लिखता है उसने सब जगह पूर्व में नागालैंड से लेकर पश्चिम गुजरात तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखा। मैंने लोगों से एक ही सवाल पूछा कि आप कौन हैं लेकिन किसी ने बताया कि वह कश्मीरी है, किसी ने पंजाबी बताया, किसी ने बंगाली बताया और उसके बाद जब जाति के आधार पर पूछा तो बताया कि वह ब्राह्मण है, या राजपूत है या हरिजन है या यादव है। इसके बाद जब उसने लोगों से धर्म के आधार पर पूछा तो अपने आपको किसी ने हिन्दू, किसी ने मुसलमान, किसी ने ईसाई बताया लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने यह नहीं बताया कि वह भारतीय है।

सभापति महोदया, आज समस्या इस बात की है कि हमारी पार्टी पर हर समय यह आरोप लगाया जाता है कि हम अल्पसंख्यकों का विरोध करते हैं। हम उनका विरोध करने वाले नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि नागालैंड से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक देश है और इस देश के निवासी भारतीय हैं। वे चूंकि भारतीय हैं, इसलिये उन्हें वे सब अधिकार मिलने चाहिये। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती रही है कि Justice to all and appeasement to none सब को न्याय मिले जो इस देश के गरीब, शोाति, कमजोर, दुर्बल, चाहे किसी वर्ग, धर्म या जाति का हो, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिये। लेकिन धर्म के नाम पर इस देश को बांटना, बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद - यह नई शब्दावली हम देश के विभाजन के रूप में देख चुके हैं। 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गये और पाकिस्तान बन गया। साम्प्रदायिकता के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर , दूसरे नेताओं के नाम पर भारत का विभाजन हो गया जब कि राट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी लाश पर पाकिस्तान बनेगा।

देश ने विभाजन का कड़वा फल चखा। आज इतने वर्षों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में उल्टा-पुल्टा चलने वाली यूपीए सरकार जब से सत्ता में आई है, उसकी हमेशा से नीति रही है कि अल्पसंख्यकों के तुटिकरण की नीति को सर्वोपरि स्थान देते हुए समाज को बांटे और समाज में भेद की खाई पैदा करे। अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के आधार पर वोट बैंक का निर्धारण करने की जब से प्रवृत्ति चली है, तब से देश पतन की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन में साफ कहना चाहता हूं कि इस समय राट्रीय एकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। वह एकता कैसे आएगी अगर समाज को बांटा जाएगा - कभी शिक्षा के नाम पर, कभी रोज़गार के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर, कभी युनिवर्सिटीज़ के नाम पर या और किसी नाम पर। परिणामस्वरूप हमारा समाज कहां जाएगा, हमारा देश कहां जाएगा?

महोदया, एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर हज़ारों पक्षी रहा करते थे। मैं फातमी साहब को बताना चाहता हूं कि एक अज्ञानी व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसके हाथ में कैरोसीन का पीपा था और माचिस जेब में थी। उसको अज्ञानता का भूत सवार हुआ। उसने मिट्टी का तेल पेड़ पर छिड़क दिया और माचिस से पेड़ को आग लगा दी। पेड़ धू-धू कर जलने लगा और सारे पक्षी ची-ची करने लगे। सभी पक्षी जलने लगे और मरने लगे। उसी समय एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। उसने कहा --

" आग लगी इस पेड़ को, जलने लग गए पात

तुम क्यों जलते पखेरुओ, पंख तुम्हारे पास।"

इस पेड़ को आग लग गई है और इसके पत्ते जलने लगे हैं। तुम क्यों जलते हो, चल उड़ जा रे पंछी। उस समय आप जैसा कोई समझदार पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा था। उसने कहा --

" फल खाए इस पेड़ के, गन्दे कीने पात

यही हमारा धरम है, जलें इसी के साथ।"

हमारी मातृभूमि, हमारा भारतर्वा ऋषि-मुनियों का देश है, रहीम और रसखान का देश है, कबीर और जायसी का देश है, सूर और तुलसी का देश है, राम और कृण का देश है, गौतम और महावीर का देश है। इस देश के अंदर आज़ादी के इतने वर्षों बाद अगर हम समाज को बांटने के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर या बहुसंख्यकों के नाम पर अगर ऐसी विभाजनकारी प्रवृत्तियां पैदा करते रहेंगे, वि-वमन करते रहेंगे तो देश कहां जाएगा? ...(व्यवधान) महोदया, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : देखिए, इस उम्र में भी ताकत से बोल रहे हैं। ज़रा सुनिये।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। हम सब मानव हैं और यदि कोई भी परेशानी या समस्या हो तो वह उस आयोग के सामने रखी जा सकती है। सारे देश में उसका कार्यक्षेत्र है। फिर आगे बढ़ें तो अल्पसंख्यक आयोग बन गया। अच्छी बात है। समाज के तथाकथित अल्पसंख्यक इनकी परिभाषा में शिक्षा की दृटि से या और दृटियों से पिछड़े हुए हैं, इससे उनका कल्याण होगा। कल्याण से कोई इकार नहीं करता। अगर ये उनका कल्याण चाहते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मदरसों के अंदर कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्था हो, विज्ञान और गणित पढ़ाने की व्यवस्था हो और उसके लिए एक करोड़ रुपये भी दिये जाते तो हम मानते कि सरकार वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन उसके स्थान पर अल्पसंख्यक आयोग बना और अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग बना रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कैसे अल्पसंख्यकवाद देश में एक खाई पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में नौकरियों के मामले में पहले एक समुदाय विशेा को आरक्षण प्रदान किया गया। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दिया। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण प्रदान किया गया। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने शुरू में कहा था जब राट्रीय चेतना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। एक राट्रवादी मुसलमान होने के नाते उन्होंने जो कहा था, मैं उसको क्वोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था -- " अपने सहपाठियों को यह परामर्श देने में मैंने कोई झिझक नहीं दिखाई कि वे अपने आपको हिन्दू कहे जाने दें।" क्योंकि उनके अनुसार हिन्दू शब्द का तात्पर्य हिन्दुस्तान के निवासियों से है जो हिन्दू, मुसलमानों तथा अन्य लोगों की मातृभूमि है ।

हाँ, सर सैयद अहमद खां ने इसी बात की पुटि करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा और समर्थन किया है। सर सैयद अहमद खां ने हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक सुंदर वधु की दो आंखें कहा था और आज उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण के बारे में इलाहबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं केंद्र सरकार के कोा से जनता की गाढ़ी कमाई का, खून का पसीना बना कर कमाए पैसे से टैक्स दिया जाता है, वह पैसा वहां पर लगता है। सबके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन सरकार उसका अल्पसंख्यक स्वरूप तय करने के लिए कोई और कानून बनाने जा रही है और बना रही है। यह स्थिति बताती है कि देश कहां जा रहा है। इसी प्रकार की असम की बात है। असम में बंगलादेश से भारी संख्या में घुसपैठिए घुस आए हैं। शाहबानो का प्रकरण हुआ। संसद के अंदर कानून बनाकर कोर्ट के फैसलों को भी बदल दिया। एक तरफ कहते हैं कि हम कोर्ट का आदर करते हैं। कोर्ट के फैसले में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में, इलाहबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, आंध्र हाईकोर्ट ने क्या कहा, असम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी यूसी बनर्जी समिति की रिपोर्ट रखी जा रही है। सच्चर समिति के माध्यम से, महोदया, सेना, जो राट्रीय एकता की प्रतीक है और सेना का हर जवान चाहे किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को मानने वाला हो, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। चाहे अब्दुल हमीद हो, कर्नल उस्मान हो, पीरूमल हो, शैतान सिंह कोई भी हो। देश के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर भी गिनती हो रही है और सच्चर समिति बनाकर सेना में भेद की खाई बनाई जा रही है। इस अलगाववाद के खिलाफ यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कारण ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। मंदिरों के अंदर विस्फोट होने लगे हैं। संकट मोचन मंदिर में विस्फोट हुआ, जहां हम राट्र का संकट दूर करने की कामना करते थे। देश में राट्रीयता की भावना पैदा हो, एकात्मकता की भावना पैदा हो, हम ऐसी कामना करते थे। हम पहले भारतीय हैं। यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं, अगर यह भावना जनता में आ जाए, तो फिर कोई बेटा मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राट्रीय एकता यात्रा निकालने का निश्चय किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अभी श्री मिस्त्री साहब ने बहुत से आंकड़े अल्पसंख्यकों के बारे में पेश किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए

कौन जिम्मेदार है? 50-55 सालों में से हमने सिर्फ 5-6 साल राज किया। बाकी वर्षों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें थीं और अल्पसंख्यकों को वोट बैंक मान कर और उनका कोरा उपयोग करते रहे। शिक्षा से, रोजगार से जनता को निरंतर वंचित करते रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन हालात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है।

महोदया, अब मैं इस बिल की ओर आना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने राट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी। मैं कांग्रेसी बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूं कि 1986 में राजीव गांधी जी ने राट्रीय शिक्षा नीति लागू की और उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए समान हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो और शिक्षा तक सबकी पहुंच हो। लेकिन इस बिल के अंदर उन सभी बातों को भुला दिया गया है। सिद्धांतों को अलग कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि केरल के अंदर और कर्नाटक के अंदर सर्वाधिक अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं। चाहे मुसलमान बंधुओं की संस्थाएं हों, चाहे ईसाई भाइयों की संस्थाएं हों, लेकिन उन संस्थाओं में आज तक किसी को एनओसी के बारे में अथवा एफिलिएशन के बारे में कोई समीक्षा या शिकायत अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुई हो, तो आप बता सकते हैं। मैं इन लोगों को चैलेंज देता हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी ।

महोदया, मैं राजस्थान में रहता हूं। वहां अजमेर शरीफ है, वहां ख्वाजा साहब की दरगाह है, जहां सारी दुनिया के लोग माथा टेकने आते हैं। चिस्ती ने जिस जगह पर पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस धरती पर वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : आप पानी पी-पी कर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भााण क्यों दे रहे हैं ?

प्रो. रासा सिंह रावत : हम खिलाफ कहां बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक मति, एक गति, एक रीति और एक नीति हो।

सभापति महोदया : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप जैसी बुलन्द आवाज, सब की नहीं होती।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, जैसी होगी दृटि, वैसी होगी सृटि। यदि सबके लिए, appeasement to none and justice to all. हो, तो कोई शिकायत ही नहीं है। मैं कहना चाहता था कि कोई राजस्थान की अल्पसंख्यक संस्था है, यदि वह पंजाब से अपनी संस्था को एफीलिएट कराना चाहती है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या बिगाड़ा है ? पहले यहां की यूनीवर्सिटी नाराज होगी, फिर यहां की ग वर्नमेंट नाराज होगी, क्योंकि वे पंजाब से एफीलिएशन लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जिस राज्य में जो संस्थाएं हों, यदि वहां का अच्छा वातावरण है, वहां की शिक्षा अच्छी है, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं से एफीलिएशन होना चाहिए।

मान्यवरा, मैं आपके माध्यम से एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल में एक बात है, जब 93वां संशोधन हुआ, तो भारत सरकार ने, यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने और हम सब लोगों ने सर्वसममति से यह तय किया कि एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट संस्थाओं में भी 25 परसेंट या एस.सी., एस.टी. के लिए निर्धारित, ओ.बी.सी. के लिए निर्धारित या कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित, आरक्षण प्राप्त हो। उस आरक्षण से माइनॉरिटी की तथाकथित संस्थाओं को अलग करने के लिए और दलितों को, वंचितों को, शोतिों को, यह आरक्षण नहीं देना पड़े। इसलिए उनका अधिकार छीन लिया गया और माइनॉरिटी के लिए यह अलग से बिल ले आया गया है ताकि माइनॉरिटी में जो बड़े-बड़े सेठ हैं, ऐसी संस्थाएं स्थापित कर के, पैसों का सुख उठा सकें।

मान्यवरा, इसमें एक एन.ओ.सी. की बात है। एन.ओ.सी. तो चाहे माइनॉरिटी की संस्था हो या कोई और संस्था हो, सभी को एन.ओ.सी. प्राप्त करने में समय लगता है। हम भी प्रार्थनापत्र देते हैं, उसके लिए बकायदा ए.आई.सी.टी.ई. अथवा मैडीकल की संस्था हो, इंजीनियरिंग की संस्था हो, बी.एड. की अलग, इंडियन मैडीकल कौंसिल अलग और भी दूसरी संस्थाएं बनी हुई हैं, वे जांच करती हैं और जांच कर के वे इन संस्थाओं को एन.ओ.सी. देती हैं। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है या कौन सा ऐसा संगठन है, जो 60 दिन अंदर एन.ओ.सी. दे सके ? 60 दिन में कोई नहीं दे सकता। लेकिन इसमें लिखा है कि 60 दिन में न दे, तो मान लो कि दे दिया और वे एफीलिएशन की सीधी कार्रवाई कर सकते हैं। एन.ओ.सी. का सरलीकरण हो, यह हम भी चाहते हैं, लेकिन सभी संस्थाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, चाहे वह माइनॉरिटी की हो, मैजोरिटी की हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, नॉन एडेड हो, चाहे जिस समाज की हो, सभी संस्थाओं को एन.ओ.सी. में सरलीकरण हो। इसमें एन.ओ.सी. के सरलीकरण की बात तो नहीं की गई, बल्कि यह कह दिया गया कि यदि 60 दिन में एन.ओ.सी. नहीं मिले, तो एफीलिएशन की कार्रवाई कर दी जाए।

महोदया, दक्षिण भारत में, केरल में टैक्नीकल एवं मैडीकल लाइन की अनेक संस्थाएं हैं। बड़े-बड़े मैडीकल कॉलेज, बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। मुशी जी, बंगाल में कम हैं, लेकिन हमारे और आपके बच्चे जब दक्षिण में जाते हैं, तो हमें असलियत का पता चलता है। जब वहां एस्टीमेट कमेटी जाती है, तो वह देखती है कि ए.आई.सी.टी.ई. के नॉर्म्स के अनुसार जो संस्थाएं सभी कायदे-कानूनों को फुल-फिल करती हैं, उन्हें मान्यता दी। उसकी शर्तों का पालन किया या नहीं, उन सबको देख कर उन्हें मान्यता या एफीलिएशन प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर यह शॉर्टकट है। फातमी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी सरकार के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अल्पसंख्यकों के साथ, छलावा करना बन्द करें और अल्पसंख्यकों का यदि उत्थान करना है, तो उन्हें राट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। वे एक रस हो जाएं। जैसे दूध और पानी मिलते हैं, दूध में जब पानी गिरता है, तो दूध और पानी समान हो जाते हैं। दूध को जब आग पर चढ़ाते हैं, तो पानी पहले जलता है और दूध को जलने नहीं देता। ऐसे ही दूध और पानी की तरह, सारे अल्पसंख्यक, भारतीय हो जाएं, राट्रीयता का उदघोा करें, तब जाकर अल्पसंख्यकवाद की बीमारी दूर हो सकती है।

महोदया, हम भी चाहते हैं कि कमजोरों का उत्थान हो, हम भी चाहते हैं कि सब को शिक्षा मिले। कौन नहीं चाहेगा कि सभी वर्गों की उन्नति हो। सलीम साहब, सभी चाहते हैं कि देश में रहने वाले सभी वर्गों को शिक्षा मिले, उनकी उन्नति हो, लेकिन सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनकी लगातार वोट बैंक पर नजर रहती है।

ऐसे-ऐसे कानून बना देना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पता ही नहीं लगता, कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं तो हैरान हो गया हूं कि आप जैसे आदमी के रहते हुए भी सुदर्शन जी कैसे सरसंघचालक हो गये, मालूम नहीं होता।

प्रो. रासा सिंह रावत : एक बात और है, आपकी आज्ञा से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक संस्था आयोग का यह जो संशोधन है, यह संस्था आयोग बने हुए लगभग एक साल हो गया, जो भी मंत्री सरकार की तरफ से अभी उत्तर दे, अगर मानव संसाधन ि वकास राज्य मंत्री उत्तर दें तो यह बतायें कि एक साल के अन्दर माइनोरिटी स्टेटस कितनी संस्थाओं को आपके इस आयोग ने प्रदान किया? माइनोरिटी स्टेटस प्राप्त करने के लिए कितनी संस्थाओं ने आपके आयोग के सामने एप्लाई किया? स्टेटस प्राप्त करने वाली संस्थाओं के आर्थिक घाटे के लिए और फंडिंग के लिए आपने क्या व्यवस्था की? हम लोगों की जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, आप पहले तीन करोड़ रुपये कांग्रेस के जमाने में, नरसिंहराव जी के जमाने में खर्च करते थे, हमने उसे 10 करोड़ रुपये दिये। आपने अभी केवल तीन करोड़ रुपये बढ़ाये, जबकि हमने तीन करोड़ के दस करोड़ रुपये किये। इन्होंने उसमें तीन करोड़ रुपये और बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये किये। मगर के आंसू बहाने वाले अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति पर देश को चलाने वाले समाज में खाई पैदा करने के लिए यू.पी.ए. की सरकार ऐसी तुटीकरण की नीतियों को छोड़कर राट्र का कल्याण, राट्र का हित, राट्र नागरिक एकात्मकता को सोचकर कल्याण की बात करे।

हार्दिक धन्यवाद। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Madam Chairperson, I thank you for the opportunity given to me to speak on the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill. Under the guidance of our UPA Chairman, Shrimati Sonia Gandhi, and under the able leadership of Dr. Manmohan Singh, and the Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh, the UPA Government has brought this Bill for the welfare of the minorities and the minority institutions. I welcome it.

The Government has brought this Bill with good intentions, that is, to help the minorities. Unlike what Prof. Rasa Singh Rawat said, the Congress people are not after votes. The Congress Government, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, is working for the welfare of the minorities. There is a saying in the Tamil that in the name of religion, no country is united. If it is so, there would not have been two Pakistans, there would not have been two Germanys, and there would not have been Vietnams. So, only under a secular fabric, a country can be united. That is how, we are united, and that is what my leader's message to these NDA people is.

In the southern part of India, Muslims are somewhat educated, whereas in the northern part, particularly in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, educational opportunities have been denied to the minorities. Minorities have not been admitted in the schools. Minorities have not been allowed to stay even in hotels. Recently, I went to Gujarat and at the reception of a hotel, when I mentioned my name as "Aaron Rashid", I was told by the receptionist, "Do not write your name as 'Aaron Rashid.' You write your name as 'Arun', and then only we can give you a room here." I have written my name as "Arun" and that is how I booked a room there. That is the situation in BJP-run States like Gujarat. It is a very shameful thing for this country. … (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The Chief Minister has won with an overall majority. It is a matter of shame that you could not recognise it. … (*Interruptions*)

MD. SALIM : Is it not vote-bank politics?

SHRI KHARABELA SWAIN : That is not vote-bank politics. … (*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID : It is a shame for you people because you people rule the State. There, the Muslims are not living in prosperity; the Muslims are living in fear there.

The Christian community is doing a yeoman service in the educational field. In Tamil Nadu, there are about 600 educational institutions belonging to the minorities. I would request the hon. Minister of Human Resource Development to give these institutions more financial aid to develop their infrastructure such as laboratories, libraries, classrooms, etc. The teachers in these minority institutions are low paid teachers. When the people who are running these minority institutions go and approach the Government, they are asking for a letter from the minority institution concerned stating that they would not ask for any grant from the State Government, and it is only then that they would give a No Objection Certificate to them.

The UPA Government has brought in new guidelines to ensure that the No Objection Certificate that is required for establishing minority institutions is issued within sixty days of applying for it. The Government has provided that if neither the No Objection Certificate is issued nor a decision is communicated to the applicant within that period, the applicant can proceed with the establishment of that

minority institution. It is definitely a welcome step. This sort of measures can only give the necessary boost to the confidence of minorities in the country. The UPA Government is doing a very good job for the welfare of minorities.

The minority institutions can get affiliated to the institution of their choice in any one of the six Universities in the country, namely, Pondicherry University, Nagaland University, Delhi University, Manipur University, etc. The rights of those teachers of minority institutions who shift to other institutions in search of better emoluments, must be protected. The Government should pay proper salaries to such teachers. Government should take care of these institutions by developing their infrastructure and educational standards.

My earnest request to the Government is that the word 'linguistic minorities' should be dropped from the Bill. My friends from the opposite side spoke in favour of lin